न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 175/2008 जीसीएमएस नं. 2008/00018

1. छोटीलाल पुत्र दीपा
2. कन्हैलाल पुत्र श्री भैरूलाल
3. भूरा देवी पत्नी स्व. श्री भैरूलाल जाति मीणा, जाति मीणा, निवासी–ग्राम लूनियावास तह सांगानेर जिला जयपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिए सचिन जयपुर विकास प्राधिकरण भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
2. श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिए अध्यक्ष बी 1, लोकल शोपिंग सेन्टर हरिमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर 1
3. प्रशासक संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति पता सयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्रधान कार्यालय मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर ।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 90बी(7) भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28.01.2002 व रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002 प्रकरण संख्या 119/02 न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन सी–2 जे.डी.ए. द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 90 ख भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् खसरा नं 740 रकवा 0.84 हैक्टेयर स्वीकार फरमाया गया।

उपस्थित–

1. श्री बी.एल.शर्मा, उमराव सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री हीरालाल सैनी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री रामचन्द्र शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–25.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी जोन सी–2 , जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 28.01.2002 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी–2 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2002 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002से व्यथित होकर अपीलान्ट छोटीलाल पुत्र दीपा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी–2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 28.01.2002 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया अपीलान्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 740 रकबा 0.84 हैक्टर में गु.नं. 119/2002 आदेश दिनांक 28.01.2002 में रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002 के आदेश से अपीलान्ट की उक्त 90 बी एल आर एक्ट की कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 28.01.02 व रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.02 के पारित आदेश से ग्राम लूनियावास तह. सांगानेर में खसरा नं. 740 रकबा 0.84 हैक्टर में खातेदार छोटीलाल, भैरूलाल व महादेव भैरूलाल व महादेव की खातेदारी के धारा 90 बी की कार्यवाही अमल में लाई गई जबकी वास्तविक खातेदार को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया।90 बी की कार्यवाही मे विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने मु० नं० 119/2002 आदेश दिनांक 28.01.2002 को पारित किया था जिसमें मात्र खसरा नं. 741, 742, 731/783 में आदेश पारित किया था तथा इसमें अपीलान्ट के खसरा नं. 740 रकबा 0.84 हैक्टयर में धारा 90 बी एल. आर. एक्ट की आदेश नहीं दिये थे इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र रिव्यू के आधार पर अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नं0 740 रकबा 0.84 हैक्टयर में धारा 90 बी एल. आर. एक्ट की कार्यवाही की गई एवं दीपा के खातेदारी अधिकार रिज्यूम करने के आदेश प्रदान किये जबकि खातेदारी अधिकार दीपा के वारिसान को मिल चुके थे इस प्रकार रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002 मूल आदेश दिनांक 28.01.2002 के पारित होने के लगभग 87 दिनों के पश्चात् पारित किये गये है और रिव्यू प्रार्थना पत्र भी मूल आदेश के पारित होने के लगभग 80 दिन पश्चात् पेश की गई है जो स्पष्ट है मियाद बाहर होने के कारण से चलने योग्य नहीं थी इस प्रकार रिव्यू प्रार्थना पत्र के समय भी मियाद माफी को कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है उक्त आदेश विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।उक्त आदेश दीपा पुत्र लक्ष्मीनारायण के विरूद पारित किया गया है तथा समाचार पत्र में भी दीपा पुत्र लक्ष्मीनारायण का ही नाम प्रकाशित किया गया था जब कि आदेश की दिनांक व नोटिस प्रकाशन की दिनांक से पूर्व ही दीपा की मृत्यु हो चुकी थी इस प्रकार उक्त आदेश मृतक दीपा के विरूद्ध पारित किया गया है जो विधिवत व कानूनी रूप से गलत है मृतक व्यक्ति के विरूद्ध न तो कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है न कोई एक पक्षीय कार्यवाही और ना ही कोई मृतक के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिअनुरूप नहीं होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपायुक्त जोन सी–2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर दिनांक 28.01.2002 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002निरस्त फरमाये जावे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट्सने अपील का विरोध करते हुये कथन किया किमहावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की दीपक कुमार आवासीय योजना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अंतर्गत ग्राम लूनियावास की आराजी खसरा नं. 741, 742, 731/789 एवं 740 को राज्य सरकार के हक में पुर्नगृहित करने हेतु दिनांक 16.01.2002 को निवेदन किया गया था। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2002 के द्वारा केवल आराजी खसरा नंम्बर 741, 742, 731/783 भूमि को पुनगृहित करने का आदेश पारित किया था तथा इसमें अपीलान्ट के खसरा नं. 740 रकबा 0.84 हैक्टयर भूमि अंकित होने

से रह गई थी। आराजी खसरा नं. 740 से संबंधित खातेदार दीपा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा को धारा 90 ख का नोटिस भी जारी किया गया था तथा अन्य खसरा नम्बर के साथ समाचार पत्र में भी उक्त खसरा नम्बर प्रकाशित हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोनसी–2जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुरद्वारा अपीलाधीन आदेश में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का पालन कर पारित किया गया है, प्रस्तुत अपील विधि एवं तथ्यो के विपरीत व सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से एवं प्रार्थीया का कोई हित निहित नही होने से प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई लॉकस स्टेण्डाई नही है । जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जोन सी–2 के द्वारा उचित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2002 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.08.2008 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली का अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम लूनियावास की आराजी खसरा नं. 741, 742, 731/789 एवं 740 को राज्य सरकार के हक में पुनर्गृहित करने हेतु दिनांक 16.01.2002 को निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् परीक्षण उपरान्त एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तथा तहसीलदार जोन द्वारा प्राप्त मौके की रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में विधिवत् समाचार पत्र मे प्रकाशन करवाया गया एवं प्रकाशन के बाद खातेदारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ही संलग्न दस्तावेजों, जोन तहसीलदार की रिपोर्ट का परीक्षण उपरान्त भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग अनुरूप पाये जाने के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–ख के अंतर्गत विधिवत् अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी–2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 28.01.2002 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002 उचित एवं विधिसम्मत् है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि:– अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन सी–2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का अपीलाधीन आदेशदिनांक 28.01.2002 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 23.04.2002 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।